

सरकारी क्षेत्र में अनुत्पादक खर्च कम करने और मूल्य स्थिर रखने का अनुरोध किया था

(ख) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र और अर्ध-सरकारी क्षेत्र के उद्योग में भी अनुत्पादक खर्च और फिजूल खर्च को रोकथे के लिये उपाय किये हैं ?

(ग) यदि हाँ, तो उनका ब्योग क्या है ; और

(घ) अब तक उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि रामा राव) : (क) जी, हाँ ।

(ख) से (घ) व्यय की विभिन्न मदों में मितव्ययिता के लिए सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को समय-समय पर अनुदेश जारी किये गए हैं, ब्यूरो अनुत्पादक और अपउपयुक्त खर्चों में कटौती करने के लिए सरकारी उद्यमों को परामर्श भी देता रहा है। अन्य बातों के साथ-साथ इन अनुदेशों में निम्नलिखित अनुदेश सम्मिलित हैं :

कर्मचारियों की आवश्यकताओं की विशद समीक्षा करना ।

2. अत्यधिक अपरिहार्य बाकी परिस्थितियों को छोड़कर अगले 9 महीनों के लिए नये पदों के मूजन पर प्रतिबंध लगाना ।

3. राजस्व व्यय में अधिकतम कमी करना जिसे फरवरी-मार्च वर्ष 1983-84 के दौरान राज्य सरकार में कुल मितराकर 3 प्रतिशत की कटौती की जा सके। सभी दिवावटी और मनोरंजन व्यय आदि पर कड़ाई में प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए ।

4. नये कार्यों तथा विद्यमान कार्यों का विस्तार करने का काम उस दशा में छोड़कर जहाँ बाहरी धनराशि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, शुरू नहीं किया जाना चाहिए ।

5. स्टाफ कारों और अतिरिक्त नई कारें प्राप्त करने सम्बन्ध व्यय पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए ।

6. छपाई के कागज और प्रकाशनों की मांग में कमी करनी चाहिए

7. विज्ञानों पर होने वाले व्यय में यथा सम्भव सीमा तक कटौती की जानी चाहिए ।

8. आवास की व्यवस्था गामूँहक रूप में अतिथि गृहों में की जानी चाहिए तथा अधिकारियों को पाँच मिनारे वाले होटलों में ठहराने से बचना चाहिए ।

9. विदेशों का दौरा करने की आवश्यकता की बाबतों से जाँच की जानी चाहिए ।

10. उद्योग मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को इन अनुदेशों का कड़ाई से पालन करने की मनाह दी है। किन्तु मितव्ययिता बिनबक विभिन्न अभ्युपायों में प्राप्ता परिणामों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

खनन अनुसंधान केन्द्र, शोध विज्ञान में
या राजनीति में शोधक से
प्रकाशित समाचार

*260. श्री शिव शरण शर्मा { : क्या
श्री जगपाल सिंह }
प्रधान मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 9 फरवरी, 1984 के "जनसत्ता" में "खनन अनुसंधान केन्द्र, शोध विज्ञान में या राजनीति में"

शीर्षक से प्रकाशित समाचार का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उन अधिकारियों का ब्योरा क्या है; जिनके विरुद्ध जांच की जा रही है अथवा दंडात्मक कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जांच द्वारा जिन अधिकारियों का पता लगा है, उनके मामलों में कार्यवाही की गई है। वैज्ञानिक "ई" के एक मामले में चेतावनी दी गई है और वैज्ञानिक "सी" के मामले में दोष आरोपित किया गया है।

Revolt by Leprosy Patients Against Administration of Tahirpur Jail Complex in Delhi.

*261 : SHRI K. A. RAJAN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 400 leprosy patients revolted against the administration of the Tahirpur Jail Complex in East Delhi as reported in 'Indian Express' dated 19 February, 1984 ; and

(b) if so, their demands and action taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBRAJIAH) : (a) and (b) The Delhi Administration has reported that there was an incident of assault on the Superintendent and some staff members by some of the inmates of the home for Leprosy and T.B. affected beggars at Tahirpur on 12th January, 1984. The

incident took place following directions by the Directorate of Social Welfare, Delhi to the Medical Officer not to issue special medical diet as a routine in addition to normal diet but to screen each case and prescribe special diet only if required. The inmates had demanded issue of special diet without screening of each case by the Medical Officer. The inmates also alleged corruption against the staff. The Delhi Administration has also stated that the Supdt. of the Home has been transferred and accounts are being subjected to special audit.

सातवीं योजना के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय विकास

*262. श्री जेनुल बशर : क्या योजना मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंच वर्षीय योजना को तैयार करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों के अन्दर क्षेत्रीय अमन्तुलन को दूर करने के लिए कोई विशेष योजना विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एम० बी० चव्हाण) : (क) योजना आयोग, इस समय सातवीं पंच वर्षीय योजना के लिए नीति-पत्र तैयार करने में लगा हुआ है। यह, राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित होने पर, केन्द्र और राज्यों द्वारा योजना तैयार करने से संबंधित विस्तृत कार्य आरम्भ करने का आधार होगा ।

(ख) से (घ) सातवीं योजना अवधि में